274

प्रमुख शासन सचिव

नगरीय विकास विभाग

आदेश क्रमांक प.3( )नविवि/3/07 दिनांक 28.02.2008

जयपुर संभागीय मुख्यालय तथा अन्य समस्त जिला मुख्यालयों एवं स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में नई टाउनशिप पॉलिसी के नॉर्म्स के अनुरूप निर्धारित क्षेत्रफल उपलब्ध न होने की अवस्था में 0.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक की ऐसी भूमि जो कि (चारों तरफ से विकसित क्षेत्र से घिरी हुई है एवं जिसको अन्य वैकल्पिक उपयोग में लिया जाना संभव नहीं हो) तो ऐसी अवस्था में संबंधित खातेदारान/आवेदकगण को आवासीय नियमन हेतु नॉर्म्स में शिथिलता प्रदान किया जाकर ऐसे समस्त प्रकरणों में आवासीय ले-आउट प्लान की स्वीकृति नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर स्थानीय निकाय द्वारा 60 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र एवं 40 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र एवं सड़कों हेतु प्रदान की जा सकेगी। वर्तमान में प्रचलित अन्य प्रकरणों की भाँति 1500 वर्ग गज से अधिक का एकल पट्टा चाहने पर तथा उपरोक्तानुसार ऐसी भूमि जो कि (चारों तरफ से विकसित क्षेत्र से घिरी हुई है एवं जिसको अन्य वैकल्पिक उपयोग में लिया जाना संभव नहीं हो) 0.5 हैक्टेयर से अधिक रकबे की भूमि की 90बी की कार्यवाही करवाने पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

शासन उप सचिव-प्रथम